**दिनांक–11.05.2016 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना एवं प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना की अध्यक्षता में जिला नियंत्रण कक्ष, तेलपा, छपरा में हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही आरम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष–सह–प्रबध निदेशक एवं प्रबंध निदेषक के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया।

**– : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश :–**

**A. परियोजना से संबंधित मामला**

सीवान जिलान्तर्गत चल रहे RE कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन दस नये PSS और उससे संबंधित 33 KV Line के कार्यो की प्रगति धीमी पाई गई। इन कार्यो को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने हेतु TKC, M/S GKC को निर्देश दिया गया :–

1. 33/11 KV PSS हुसैनगंज को 15 जून, 2016 तक पूरा कर लिया जाय।

2. 33/11 KV PSS भगवानपुर हाट, नौतन, जीरादेई और आंदर को जून, 2016 तक पूरा कर लिया जाय।

3. 33/11 KV PSS लकड़ी नबीगंज को सभी प्रकार से दस दिनों के अंदर यानि 21.05.16 तक पूरा कर लिया जाय।

4. 33/11 KV PSS गुठनी और दरौली को मई 2016 के अंत तक पूरा कर लिया जाय।

5. 33/11 KV PSS दरौंदा PSS को Back Feeding से मई, 2016 के अंत चालू करने का निर्देष दिया गया।

6. 33/11 KV PSS मैरवा PSS के R&M कार्य को मई, 2016 के अंत तक चालू करने का निर्देष दिया गया।

कतिपय जगहों पर जहाँ पहले से लाईन गुजर रहा है उन जगहों पर दूसरा नया लाईन बनाने में ROW का Problem है तो वहाँ Rail Pole पर Double Circuit Line बनाकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया गया। Road Crossing में भी Rail Pole का आवश्कतानुसार इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। TKC, M/S GKC के द्वारा उनके Scope में Rail Pole नही रहने के कारण कार्य कराने में असमर्थता जताई गई। विचारोपरान्त यह निर्देश दिया गया कि Central Store, Chapra, Divisional Store में यदि Rail Pole उपलब्ध है तो TKC को उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा BRGF-II के TKC, M/S VTL से इन जगहों पर Rail Pole से कार्य कराने का निर्देश दिया गया।

33 KV & 11 KV लाईन का re-conductoring का कार्य GKC द्वारा नहीं किया जा रहा है, निर्देश दिया गया कि re-conductoring के कार्य को जल्द से जल्द पुरा किया जाय।

**सारण**

सारण जिलान्तर्गत RE का कार्य एवं 33/11 KV के चार PSS के निर्माण कार्य में धीमा प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई और निर्देश दिया गया कि निर्माणाधीन चारो PSS का अद्यतन Photograph के साथ M/S EMC के Top प्रबंधन को दिनांक–20.05.16 को वार्ता हेतु कंपनी मुख्यालय बुलाया जाय।

**विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गोपालगंज**

गोपालगंज जिलान्तर्गत IE Villages के धीमा कार्य प्रगति पर M/S Techno Electric & Engineering को निर्देशित किया गया कि Manpower बढ़ाकर कार्य में प्रगति लायें।

M/S Techno Electric & Engineering का State Plan के तहत 16/25 KVA के जले ट्रांसफारमर को बदले गये कार्य का Name Plate लगाने संबंधित भुगतान के संबंध में निदेशक (परियोजना) द्वारा बतलाया गया कि मामले से संबंधित निर्देश निर्गत हो चुका है।

M/S East India Udyog Co. Ltd को 33/11 KV PSS शीतलपुर एवं अन्य PSS के R&M साथ ही सभी 33 KV एवं 11 KV Line के बचे कार्यो को अविलम्ब पूरा करने का निर्देश दिया गया।

PSS में जो Power Transformer पड़ा हुआ है उसे अभी तक Store में Devaluate नही किया गया है उसे शीघ्र Store में Devaluate कराने का निर्देश दिया गया है।

## — : प्रबंध निदेशक के द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश :—

### B. राजस्व संबंधी मामला

### विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, छपरा(पू0)

माह अप्रैल 2016 में LTIS के एक भी उपभोक्ता का Disconnection नहीं हुआ है। LTIS, NDS, DS-II के जितने भी Non Paying उपभोक्ता है उनका विद्युत संबंध 10 (दस) दिनों के अंदर विच्छेदित करने का निर्देश दिया गया । LTIS, NDS, DS के 45% (प्रतिशत) उपभोक्ता को MMC पर विपत्रीकरण हो रहा है। उसे Reduce करने का निर्देश दिया गया। यदि एक माह के अंदर Reduce नहीं होता है एवं LTIS, NDS, DS का शत–प्रतिशत मीटरपठन के आधार पर विपत्रीकरण नही होता है तो वेतन भुगतान पर रोक की कार्रवाई की जायेगी।

### विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, छपरा(प0)

75 प्रतिशत MMC पर विपत्रीकरण शहरी क्षेत्र में हो रहा है। BTS/LTIS के उपभोक्ता को Revenue Officer को Verify करने का निर्देश दिया गया। सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, छपरा(ष0) के द्वारा बताया गया कि 97 LTIS उपभोक्ता है जिसमें 54 LTIS उपभोक्ता भुगतान करते है शेष 27 उपभोक्ता के द्वारा भुगतान नहीं करने के संबंध में जानकारी दिया गया कि वे Alternate Month में भुगतान करते है। BTS Consumer छपरा शहर में कितना है के संबंध में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, छपरा(ष0) के द्वारा अनभिज्ञता जाहीर किया गया। Mobile No. शत–प्रतिषत Collect नही होने की जानकारी प्राप्त हुआ। निर्देश दिया गया कि शत प्रतिशत Mobile No. उपभोक्ताओं का Collect करें।

### विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सीवान

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, महाराजगंज के द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में सात LTIS उपभोक्ता है जिसमें एक Non Paying है, तीन Paying है लेकिन MMC पर Billing हो रहा है जिसमें 2 HP का Water Filter Factory है एवं एक Ice Factory है।

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, भैरवा के द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में 9 LTIS उपभोक्ता है तीन उपभोक्ता का MMC पर विपत्रीकरण हो रहा है। सात LTIS उपभोक्ता Paying है।

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सीवान(ग्रा0) के द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में 16 LTIS उपभोक्ता है। जिसमें पाँच का विपत्रीकरण MMC पर होता है। 10 LTIS उपभोक्ता Paying हैं।

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सीवान(प0) के द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में

40 LTIS उपभोक्ता है। 29 उपभोक्ता Paying हैं। NDS एवं DS-II के अधिकांश उपभोक्ता का विपत्र MMC पर बनता है। निर्देश दिया गया कि चारों अवर प्रमंडल में LTIS, NDS, DS का विपत्रीकरण मानपठन के आधार पर एक माह के अंदर नही होता है तो एक माह के बाद वेतन भुगतान पर रोक की कार्रवाई की जायेगी।

**<u>विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गोपालगंज</u>**

सहायक विद्युत अभियंताओं से 5 (पाँच) LTIS उपभोक्ताओं की जानकारी लिया गया जिसमें किसी भी सहायक विद्युत अभियंता के द्वारा यह जानकारी नही दिया गया कि उनके क्षेत्र में 5 (पाँच) LTIS उपभोक्ता कहाँ पर है। NDS-I & II के अधिकांश उपभोक्ता Non Paying हैं। DS-II का विपत्रीकरण भी Avg पर हो रहा है।

निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन Meter Reader के साथ बैठक कर Reading का Review किया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

ह0/–
**( एस0 के0 पी0 सिंह )**
निदेशक (परियोजना)

ज्ञापांक : 81 नि /　　　　　　　　　　　　दिनांक : 30/05/16

प्रतिलिपि :– विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, छपरा / ~~विद्युत~~ कार्यपालक अभियंता (IT) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**( एस0 के0 पी0 सिंह )**
निदेशक (परियोजना)